

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crim-I

अज अदालत..... 30/2/2025 मुकाम..... 9/1/25
..... 2025/12 बनाम..... 2/1/2025
किस्म मुकदमा..... L.R. Act - 36 नं..... 155 सन्..... 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए
11/11/25 17/11/25	<p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना-पत्र पर बहस कर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 17/11/25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम बालापुरा के खाता सं0 35 व 36 में नामान्तरण संख्या 499 दिनांक 22.02.2024 विरासत द्वारा धन्नीबाई पत्नि बद्रीलाल के वारीसान रामावतार पुत्र बद्रीलाल, प्रेमबाई, मनभर बाई, विद्या बाई, सुशीला बाई पुत्रियां बद्रीलाल नाम दर्ज हुआ। जबकि वारीसान रामावतार पुत्र बद्रीलाल प्रेमबाई, मनभर बाई, विद्या बाई, सुशीला बाई पुत्रियां बद्रीलाल एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। धन्नीबाई पत्नि बद्रीलाल के फौती नामान्तरण से उक्त नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज हुई जिसे दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम बालापुरा के खाता सं0 35 व 36 में विरासत द्वारा रामावतार पुत्र बद्रीलाल, प्रेमबाई, मनभर बाई, विद्या बाई, सुशीला बाई पुत्रियां बद्रीलाल की डबल एन्ट्री हुई है। जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के हैं। जिसे दुरुस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावें।</p> <p>पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि ग्राम बालापुरा के खाता सं0 35 व 36 में नामान्तरण संख्या 499 दिनांक 22.02.2024 विरासत द्वारा रामावतार पुत्र बद्रीलाल, प्रेमबाई, मनभर बाई, विद्या बाई, सुशीला बाई पुत्रियां बद्रीलाल नाम की डबल एन्ट्री हो गई है। उक्त त्रुटी स्वतः स्वीकृत नामा0 के कारण सहवन से हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम बालापुरा के खाता सं0 35 व 36 में रामावतार पुत्र बद्रीलाल, प्रेमबाई, मनभर बाई, विद्या बाई, सुशीला बाई पुत्रियां बद्रीलाल नाम की डबल एन्ट्री को एक दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें।</p> <p>उक्त निर्णय आज दिनांक 17/11/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा